न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
अपील वाद संख्या–58/08–09
अजीत कुमार बनाम कलीम अनवर एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
30/12/....2016	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी अजीत कुमार, पे0–अरविन्द नारायण लाभ, ग्राम–फैगल्लाहपुर उर्फ वौउर, अंचल वो थाना–घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार बिरौल द्वारा वाद संख्या–02/04–05 में दिनांक–03.11.2004/10.12.2004 को प्रतिपक्षी के पक्ष में परवाना निर्गत करने के आदेश के विरूद्ध दायर किया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि मौजे फैजुल्लाहपुर उर्फ बौउर थाना वो अंचल–घनश्यामपुर, जिला–दरभंगा अवस्थित खाता नम्बर–195–पुराना खेसरा नम्बर–584 पुराना–1190–नया रकबा एक एकड़ 51 डिसिमल गैर मजरूआ खास पोखर तौजी नम्बर–3467 जिसके प्रोपराईटर राम गंगा प्रसाद सिंह के वारिशान थे। उक्त तौजी के मिल्कीयत के दखलकार वो गुजरते परिस्थिति में पोखर का स्वरूप बदल गया एवं खेती योग्य बन गया। उक्त भूमि को तत्कालीन मालिक मिश्री मंडल को मौखिक बन्दोवस्त कर कब्जा दे दिया जिसका मालिक के सिरिस्ता में जमाबन्दी कायम किया गया एवं मालिक द्वारा मिश्री मंडल के नाम रिर्टन दाखिल किया गया। मिश्री मंडल का नाम रजिस्टर–II में अंकित व हैशियत रैयत दर्ज हुआ। मिश्री मंडल ने उक्त भूमि केवाला दिनांक– 10.09.1976 द्वारा गजेन्द्र नारायण लाभ (अपीलार्थी के चाचा) को बिक्री कर दखल–कब्जा में दे दिया। गजेन्द्र नारायण लाभ के संयुक्त परिवार में खरीदगी के फलस्वरूप आपसी सामंजस से उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता– अरविन्द नारायण लाभ को मिला एवं शांतिपूर्ण जोत आबाद तथा दखल–कब्जा में रहता चला आया जिसका जमाबन्दी नम्बर–106 बनाम मिश्री मंडल (धानुक) था। अरविन्द नारायण लाभ के नाम से दर्ज करते हुए राजस्व रसीद अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया। अपीलार्थी तीन भाई है एवं पिता काफी वृद्ध है वो संयुक्त परिवार के कर्त्ता होने की हैसियत से यह अपील दायर किया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि पुनरिक्षीत सर्वे में भूमि का खतियान अनावाद बिहार सरकार दर्ज हो गया, जिसकी जानकारी होने पर इनके पिता अरविन्द नारायण लाभ ने वाद संख्या–9958/1994 धारा–106 बी0टी0 एक्ट तहत् सर्वे न्यायालय में दायर किया जिसमें खतियान इनके पिता के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रतिपक्षी ने दिनांक–05.05.2004 को एक आवेदन प्रश्नगत भूमि का अंचल अधिकारी, घनश्यामपुर को इस आशय का दिया कि प्रश्नगत भूमि वर्षो से इनके कब्जा में है जिसका जोत आबाद करते आ रहे है वो भूमिहीन है तथा पिछड़ी जाति के सब्जी फरोस है। अतः प्रश्नगत भूमि का इन लोगों के नाम बन्दोवस्त किया जाय। अंचल अधिकारी ने इन्हें कोई सूचना निर्गत नहीं किया और न स्वयं ही स्थल का कर्मी की निरीक्षण ही किया तथा गलत प्रतिवेदन के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल ने प्रतिपक्षी के नाम बन्दोवस्ती परवाना निर्गत करने का आदेश दिनांक–10.12.2004 को दिया जो गलत है। अपीलार्थी ने अपने दावा के समर्थन में नया सर्वे खतियान सुधार आदेश सहित तथा राजस्व रसीद जमाबन्दी नम्बर–106	